रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275154
CG-DL-E-04082026-275154

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4101] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2026/श्रावण 9, 1948
No. 4101] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2026/SHRAVAN 9, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

का.आ. 4277(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में NH11 के कि.मी. 0 से कि.मी.101.197 (उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं एसडीओ जैसलमेर को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में NH11 के कि.मी. 0 से कि.मी.101.197 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: राजस्थान			जिले का नाम: जैसलमेर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सम					
गांव का नाम: बैरसीयाला					
1	24	निजी	बारानी	0.1591 (हेक्टेयर)	0.1591
2	24/1107	निजी	बारानी	0.0519 (हेक्टेयर)	0.0519
3	248/1080	सरकारी	बारानी	0.0058 (हेक्टेयर)	0.0058
4	249/1081	सरकारी	बारानी	0.1252 (हेक्टेयर)	0.1252
5	254/1084	सरकारी	बंजड़	0.1079 (हेक्टेयर)	0.1079
6	257/1085	सरकारी	बंजड़	0.852 (हेक्टेयर)	0.852
7	26	निजी	बारानी	0.1921 (हेक्टेयर)	0.1921
8	26/1202	निजी	बारानी	0.0019 (हेक्टेयर)	0.0019
9	289	सरकारी	बारानी	0.1273 (हेक्टेयर)	0.1273
10	291/1086	सरकारी	बंजड़	0.5469 (हेक्टेयर)	0.5469
11	347/1087	सरकारी	बंजड़	0.0555 (हेक्टेयर)	0.0555
12	349	निजी	बारानी	0.0231 (हेक्टेयर)	0.0231
13	352	निजी	बारानी	0.3174 (हेक्टेयर)	0.3174
14	386/1092	सरकारी	बंजड़	0.6751 (हेक्टेयर)	0.6751
15	391/1093	सरकारी	बंजड़	0.7512 (हेक्टेयर)	0.7512
16	392/1094	सरकारी	बारानी	0.5998 (हेक्टेयर)	0.5998
17	407/1095	सरकारी	बंजड़	0.5625 (हेक्टेयर)	0.5625
18	47	निजी	बारानी	0.578 (हेक्टेयर)	0.578

19	48	निजी	बारानी	0.0821 (हेक्टेयर)	0.0821
20	48/1189	निजी	बारानी	0.1667 (हेक्टेयर)	0.1667
21	55	निजी	बारानी	0.0106 (हेक्टेयर)	0.0106
22	55/1216	निजी	बारानी	0.0598 (हेक्टेयर)	0.0598
23	73	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.0068 (हेक्टेयर)	0.0068
24	791/1097	सरकारी	बारानी	0.4962 (हेक्टेयर)	0.4962
25	82	निजी	बारानी	0.0384 (हेक्टेयर)	0.0384
26	834	सरकारी	बारानी	0.0101 (हेक्टेयर)	0.0101
27	838	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.0019 (हेक्टेयर)	0.0019
28	841	सरकारी	बारानी	0.2377 (हेक्टेयर)	0.2377
29	842	निजी	बारानी	0.1778 (हेक्टेयर)	0.1778
30	85/1077	सरकारी	बारानी	0.009 (हेक्टेयर)	0.009
31	88	निजी	बारानी	0.0236 (हेक्टेयर)	0.0236
				Total	**7.0534**

[फा. सं. NHAI/LA/Jsm-Myajlar-Sundra/2025/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2026

S.O. 4277(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH11 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 101.197 (SDO Jaisalmer) in the district of JAISALMER in the state of RAJASTHAN, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, CALA CUM SDO JAISALMER in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH11 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 101.197 (SDO Jaisalmer) in the district of JAISALMER in the state of RAJASTHAN

State: RAJASTHAN			District: JAISALMER		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: SAM					
Village: Bersiyala					
1	24	Private	BARANI	0.1591 (Hectare)	0.1591
2	24/1107	Private	BARANI	0.0519 (Hectare)	0.0519
3	248/1080	Government	BARANI	0.0058 (Hectare)	0.0058
4	249/1081	Government	BARANI	0.1252 (Hectare)	0.1252
5	254/1084	Government	BANJAR	0.1079 (Hectare)	0.1079
6	257/1085	Government	BANJAR	0.852 (Hectare)	0.852
7	26	Private	BARANI	0.1921 (Hectare)	0.1921
8	26/1202	Private	BARANI	0.0019 (Hectare)	0.0019
9	289	Government	BARANI	0.1273 (Hectare)	0.1273
10	291/1086	Government	BANJAR	0.5469 (Hectare)	0.5469
11	347/1087	Government	BANJAR	0.0555 (Hectare)	0.0555
12	349	Private	BARANI	0.0231 (Hectare)	0.0231
13	352	Private	BARANI	0.3174 (Hectare)	0.3174
14	386/1092	Government	BANJAR	0.6751 (Hectare)	0.6751
15	391/1093	Government	BANJAR	0.7512 (Hectare)	0.7512
16	392/1094	Government	BARANI	0.5998 (Hectare)	0.5998
17	407/1095	Government	BANJAR	0.5625 (Hectare)	0.5625
18	47	Private	BARANI	0.578 (Hectare)	0.578
19	48	Private	BARANI	0.0821 (Hectare)	0.0821
20	48/1189	Private	BARANI	0.1667 (Hectare)	0.1667
21	55	Private	BARANI	0.0106 (Hectare)	0.0106
22	55/1216	Private	BARANI	0.0598 (Hectare)	0.0598
23	73	Government	Gai.Mu.Rasta	0.0068 (Hectare)	0.0068
24	791/1097	Government	BARANI	0.4962 (Hectare)	0.4962
25	82	Private	BARANI	0.0384 (Hectare)	0.0384
26	834	Government	BARANI	0.0101 (Hectare)	0.0101
27	838	Government	Gai.Mu.Rasta	0.0019 (Hectare)	0.0019

28	841	Government	BARANI	0.2377 (Hectare)	0.2377
29	842	Private	BARANI	0.1778 (Hectare)	0.1778
30	85/1077	Government	BARANI	0.009 (Hectare)	0.009
31	88	Private	BARANI	0.0236 (Hectare)	0.0236
				Total	**7.0534**

[F. No. NHAI/LA/Jsm-Myajlar-Sundra/2025/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.08.04 15:08:29 +05'30'